

कार्यालय नियंत्रक, नाप तौल, म.प्र. भोपाल

क्रमांक 4656/नातौ/अ-1(1)/प्रव/408/2005, भोपाल दिनांक 24.12.2005

प्रति,

समस्त उप नियंत्रक  
समस्त सहायक नियंत्रक  
समस्त निरीक्षक  
नाप तौल, मध्यप्रदेश

विषय:- निरीक्षकों द्वारा मासिक जांच एवं अभियोजन के लक्ष्य का पुनः निर्धारण।

कार्यालयीन आदेश क्रं. 1632/अ-1(1)/प्रव/05 दि. 8.4.04 के द्वारा निरीक्षकों के लिए निरीक्षण एवं अभियोजन प्रकरणों का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। वर्ष 2005-06 के निरीक्षण एवं अभियोजन के लिए पुनरीक्षित लक्ष्य निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है। निरीक्षण प्रतिमाह 250 एवं अभियोजन लक्ष्य 15 प्रकरण प्रतिमाह। संस्थान अनुसार निरीक्षण निम्नानुसार किया जाना है।

क्रं.	व्यापारिक संस्था	जांच का लक्ष्य
1.	पेट्रोल/डीजल पम्प	5
2.	टैंक लारी	2
3.	कृषि उपज मण्डी	2
4.	मिट्टी तेल संस्थान विक्रेता	5
5.	गैस संस्थान	2
6.	उचित मूल्य दुकान	5
7.	सीमेंट/खाद विक्रेता	5
8.	किराना व्यापारी	60
9.	थोक व्यापारी/हाईवेयर	3
10.	रेल्वे स्टेशन/डाकघर/बस स्टेण्ड	3
11.	आटा चक्की	5
12.	गल्ला व्यापारी	5
13.	तेल के थोक व्यापारी	3
14.	मिठाई विक्रेता	5

15.	सब्जी/फल विक्रेता	50
16.	रद्दी विक्रेता	2
17.	दूध विक्रेता	5
18.	टैक्सी मीटर	250 जहां पूर्ण चार्ज हो 25 अन्यथा
19.	सीमेंट/शकर/खाद/अन्य कारखाने	2
20.	सर्राफा व्यापारी	4
21.	कपड़ा व्यापारी	25
22.	शासकीय/अर्धशासकीय विभाग	2
23.	अन्य व्यापारी	25
कुल		250

नियंत्रक  
नाप तौल म.प्र. भोपाल

क्रमांक 4657/नातौ/अ-1(1)/प्रव/408/05 भोपाल दिनांक, 24.12.05

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग।
2. संयुक्त नियंत्रक/दाशमिक अधिकारी।
3. अधीक्षक/स्टेनो/निरीक्षक मुख्यालय।
4. प्रवर्तन/अभियोजन/लेखा शाखा/स्थापना/आडिट

नियंत्रक  
नाप तौल म.प्र. भोपाल